



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 16, गुरुवार, शाके 1941-नवम्बर 7, 2019
Kartika 16, Thursday, Saka 1941- November 7, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2019

जी.एस.आर.37 :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 8ख के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 3 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दो लाख रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तीन लाख रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति “दो लाख रुपये से कम” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तीन लाख रुपये से कम” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति “दो लाख रुपये के” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तीन लाख रुपये के” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 7(2)संसद/2019]

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 07, 2019

G.S.R. 37.-In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 8B of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act,

1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of April, 2019.

2. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "Rupees Two Lakh", the expression "rupees three lakh" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (2),-

(a) for the existing expression "less than Rupees Two lakh", the expression "less than rupees three lakh" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "Two lakh shall be", the expression "rupees three lakh shall be" shall be substituted.

[No. F.7(2)Sansad/2019]

By Order of the Governor,
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.